

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं  
 पीठासीन अधिकारी:- पंकज शर्मा  
 (आर.ए.एस.)

दावा बाबत रिकार्ड दुरुस्ती

अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

मुकदमा नम्बर :-97/2024 (शान्ति बनाम सरकार वगै०)

निर्णय दिनांक :- 09.07.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, पंकज शर्मा(आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादी मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 09.07.2025 द्वारा पारित निर्णयानुसार मलसीसर की सरहद में स्थित भूमि ख0न0 60 रकबा 1.15 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादिया का दर्ज गलत नाम सावित्री पत्नी मालाराम के बजाय सही व दस्तावेजी नाम शांति पत्नी मालाराम दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त करने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। दावा फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बरसे कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो।

मेरे दस्तखत व मुहर आदलत से आज तारीख 09.07.2025 को जारी की गई।



*पंकज शर्मा*  
 (पंकज शर्मा)  
 उपखण्ड अधिकारी,  
 मलसीसर